

उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन)
विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या-..... वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020
में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप
में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा),(संशोधन) अधिनियम, 2021" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 87 का संशोधन

2.

उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम 2020 की धारा 87 के खण्ड 1 में प्रथम परन्तुक के पश्चात एक नया परन्तुक निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह और कि पहली बार के लिये अथवा दो कार्यकालों के मध्य अंतराल होने पर अथवा अन्य किसी कारणवश, पद रिक्ति की दशा में अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा एक बार में एक वर्ष से अनधिक समय हेतु की जा सकेगी।"

**The Uttarakhand State Agricultural Produce And Livestock
Marketing (Promotion & Facilitation) (Amendment) Bill,
2021**

(Uttarakhand Bill no.....2021)

**A
Bill**

Further to amend the Uttarakhand State Agricultural Produce And Livestock
Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2020

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the
seventy second year of the Republic of India as follows:

**Short Title and
commencement**

(1) This Act may be called "the Uttarakhand
State Agricultural Produce and Livestock
Marketing (Promotion & Facilitation)
(Amendment) Act, 2021"

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 87

In clause 1 of section 87 of The Uttarakhand
State Agricultural Produce and Livestock
Marketing (Promotion & Facilitation)
Act, 2020 after first proviso a new proviso
shall be inserted as follows, namely:-

Provided further that the chairperson may
be appointed by the state government for
the first time, or on intervals between two
tenures or for some other reason in the case
of vacancy for a period not exceeding one
year at a time.

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर, नियुक्ति करने में हो रही कठिनाइयों का निवारण किया जाना अनिवार्य है।

2. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इस विधेयक द्वारा धारा 87 में संशोधन प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

Statement of Objects and Reasons

In Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2020, it is necessary to remove the difficulties faced in appointing the post of Chairman of the State Agricultural Marketing Board.

2. For the fulfilment of the aforesaid objective amendment in section 87 is proposed by this Bill.
3. The proposed Bill fulfies aforesaid objective.

Subodh Uniyal
Minister

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या,28 वर्ष 2020) का संशोधन मात्र है।

2. विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 2 में धारा 87 के खण्ड 1 में प्रथम परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या, 28, वर्ष 2020) का संशोधन मात्र है।

2. प्रस्तावित विधेयक में, राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

1. प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या, 28, वर्ष 2020) का संशोधन मात्र है।
2. प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन निहित है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

प्रस्ताव

विधान सभा द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान दिये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से विधान सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसरण में यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्य मंत्री।